



दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ



देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

चंद्रयान-1 से चंद्रयान-3 तक: भारत की चंद्र यात्रा ने रचा इतिहास, दुनिया में बढ़ा वैज्ञानिक गौरव



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में 22 अक्टूबर का दिन विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2008 में इसी दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण किया था। इस मिशन ने चंद्रमा के अध्ययन और वहां पानी के अणुओं से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 ने भारत के चंद्र अभियान को आगे बढ़ाया। खासकर 23

निभाई। इससे चंद्रमा की सतह की संरचना और वहां मौजूद संभावित संसाधनों को समझने के लिए वैज्ञानिकों को नई जानकारी मिली। चंद्रयान-1 ने यह भी प्रदर्शित किया कि भारत जटिल अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करने की क्षमता रखता है। चंद्रयान-2: असफल लैंडिंग के बावजूद मिली महत्वपूर्ण सीख 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह, खनिज संरचना और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ, लेकिन विक्रम लैंडर निर्धारित तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। लैंडिंग के प्रयास में मिली चुनौती के बावजूद इस मिशन से प्राप्त अनुभव ने भारत के आगामी चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी आधार तैयार किया। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चंद्रमा के अध्ययन में उपयोगी था। यह भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का रासायनिक, खनिज और भूवैज्ञानिक अध्ययन करना था। इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल से जुड़े प्रमाणों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका

के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बना। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर चलकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग किए। लैंडर और रोवर के उपकरणों ने सतह के तापीय गुणों, तत्वों उपलब्धि ने भारतीय वैज्ञानिकों को वैश्विक इंजीनियरों की तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। साथ ही, इसने भविष्य के चंद्र अभियानों और अंतरिक्ष प्रयास में मिली चुनौती के बावजूद इस मिशन से प्राप्त अनुभव ने भारत के आगामी चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी आधार तैयार किया। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चंद्रमा के अध्ययन में उपयोगी था। यह भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का रासायनिक, खनिज और भूवैज्ञानिक अध्ययन करना था। इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल से जुड़े प्रमाणों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका

दिवस यह संदेश भी देता है कि वैज्ञानिक प्रगति केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, शिक्षा, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं से भी है। 22 अक्टूबर से 23 अगस्त तक: आत्मविश्वास और नवाचार की यात्रा चंद्रयान-1 से चंद्रयान-3 तक का सफर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निरंतर वैज्ञानिक प्रयास, तकनीकी सुधार और अनुभव से सीखने की प्रक्रिया का उदाहरण है। पहले मिशन ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया, दूसरे मिशन ने नई तकनीकी चुनौतियों का अनुभव दिया और तीसरे मिशन ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 22 अक्टूबर 2008 को शुरू हुई यह यात्रा बताती है कि बड़े वैज्ञानिक लक्ष्य हासिल करने के लिए दीर्घकालिक योजना, अनुसंधान, अनुशासन और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। भारत की चंद्र उपलब्धियां देश के वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता को रेखांकित करती हैं और आने वाली पीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामला: CJP से जुड़े तीन कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने किया तलब



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने

अधिसूचना में बदलाव का मुद्दा भी इस घटनाक्रम से जुड़ा है। हालांकि, अधिसूचना में हुए बदलाव और उसके कानूनी प्रभाव के संबंध में आधिकारिक दस्तावेजों की पुष्टि जरूरी है। जमानत के बाद दोबारा नोटिस जारी होने की खबर उपलब्ध विवरण के अनुसार, आशुतोष रांका और सौरव दास को एक दिन पहले जमानत मिली थी। इसके बाद दोनों को जांच में शामिल होने के लिए नया नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। तीसरे कार्यकर्ता अर्जुन शिंदे को भी पुछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस का उद्देश्य संबंधित और पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। 13 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा है मामला प्राप्त

ने किन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर तीनों को तलब किया है, किन कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है और संबंधित कार्यकर्ताओं का इस मामले में क्या पक्ष है, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है। निष्पक्ष जांच और नागरिक अधिकारों पर नजर यह मामला सार्वजनिक स्थलों पर विरोध-प्रदर्शन, प्रशासनिक नियमों और नागरिक अधिकारों से जुड़े सवालों को सामने लाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू कानूनी प्रावधानों का पालन भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को जांच के लिए तलब किया जाना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस की आधिकारिक जानकारी, संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

ब्याज के साथ फीस से भी बैंकों की कमाई बढ़ी, कंपनियों के अधिग्रहण सौदों में उतरे भारतीय बैंक

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण (एमए/ए) से जुड़ी वित्तीय सेवाएं कमाई का नया अवसर बनकर उभर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से टेकओवर फाइनिंग के नियमों में ढील दिए जाने के बाद घरेलू बैंकों की इस कारोबार में भागीदारी बढ़ी है। अब बैंक कंपनियों को अधिग्रहण के लिए कर्ज देने के साथ-साथ सलाहकार सेवाओं, एक्जो खतों, शेयर लेनदेन और विदेशी मुद्रा कारोबार से भी आय अर्जित करने के अवसर तलाश रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद भारतीय बैंकों ने विलय और अधिग्रहण से जुड़े करीब एक दर्जन सौदों के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब भारतीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार करने और दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बड़े सौदे कर रही हैं। टेकओवर फाइनिंग के नियमों में बदलाव से खुला नया रास्ता पहले भारतीय बैंकों के लिए कंपनियों के अधिग्रहण को वित्तपोषित करने पर नियामकीय सीमाएं थीं। इसके चलते कई कंपनियों को विदेशी बैंकों, निजी ऋण कर्णों या अपने आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। नियमों में बदलाव के बाद घरेलू बैंकों को इस बाजार में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला है। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत पात्र कंपनियों को अधिग्रहण सौदे के स्वतंत्र रूप से निर्धारित मूल्य के 75 प्रतिशत तक कर्ज उपलब्ध करवा जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा निर्धारित नियामकीय शर्तों के अधीन है। कर्ज लेने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति, मौजूदा ऋण, जोखिम उठाने की क्षमता और संबंधित सौदे की व्यवहार्यता जैसे पहलुओं का आकलन करना आवश्यक है। इस व्यवस्था से कंपनियों को अधिग्रहण के लिए वित्त जुटाने के अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं। वहीं, बैंकों के लिए बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के साथ दीर्घकालिक कारोबारी संबंध विकसित करने का अवसर भी बढ़ता है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। भारत और पोलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत बनाने तथा व्यापार, रक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा के दौरान गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यापक चर्चा हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। वहीं, पोलैंड के साथ संबंधों को मजबूत करना यूरोप में भारत की आर्थिक और कूटनीतिक भागीदारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हैदराबाद हाउस में उच्चस्तरीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की बैठक में



द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने व्यापारिक संबंधों के विस्तार, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, तकनीकी साझेदारी और अंतरिक्ष अनुसंधान में संभावनाओं पर चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस. बैठक का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से स्थापित सहयोग को आगे बढ़ाना और ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान करना था, जिससे आर्थिक साझेदारी तथा रणनीतिक संबंधों को व्यावहारिक मजबूती मिल सके। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की वी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने

भारत यात्रा के दौरान राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए भारत-पोलैंड सहयोग को व्यापक बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उच्चस्तरीय बैठकों को दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। व्यापार, रक्षा और तकनीक पर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री

टस्क की यात्रा में आर्थिक सहयोग का विस्तार प्रमुख विषयों में शामिल है। उनके साथ पोलैंड के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रिज डोमांसकी तथा कारोबारी प्रतिनिधियों का एक दल भी भारत आया है। यात्रा के दौरान नई दिल्ली में आयोजित भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम में उनकी भागीदारी भी निर्धारित है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ रक्षा उत्पादन, उन्नत तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग की संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए यूरोपीय बाजारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और पोलैंड के लिए भारतीय बाजार में कारोबारी अवसर तलाशना इस साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री टस्क के बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है, जहां वे सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बेंगलुरु की तकनीकी विशेषकर कंपों को देखते हुए यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं के लिहाज से अहम माना

जा रहा है। 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भारत और पोलैंड के संबंधों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय किया था। डोनाल्ड टस्क की मौजूदा यात्रा को वर्ष 2010 के बाद किसी पोलिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा बताया गया है। ऐसे में यह दौरा दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने और पहले किए गए समझौतों को ठोस सहयोग में बदलने का अवसर प्रदान करता है। भारत में पोलैंड के पूर्व राजदूत एडम बुराकोव्स्की के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों देश अपने वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत हैं। रक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को भी इस लक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की चुनौती भारत और पोलैंड के बीच बढ़ते संघर्ष दोनों देशों के लिए

व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। हालांकि, व्यापार को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बाजार तट पहुंचकर, निवेश संबंधी प्रक्रियाओं, नियामकीय आवश्यकताओं और कारोबारी साझेदारियों पर निरंतर काम करना होगा। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तकनीकी क्षमताओं, दीर्घकालिक निवेश और संस्थागत समन्वय की भी आवश्यकता होगी। इसलिए इस यात्रा की वास्तविक सफलता का आकलन केवल बैठकों के आधार पर नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाले ठोस निर्णयों और उनके क्रियान्वयन से किया जाएगा। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड टस्क की वार्ता भारत-पोलैंड संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर है। यदि दोनों देश व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रस्तावित सहयोग को व्यावहारिक रूप देते हैं, तो इससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को विस्तार मिलने के साथ भारत और यूरोप के बीच साझेदारी भी मजबूत हो सकती है।

वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब, बोले— अगले 30 साल तक नहीं आएगा आपका नंबर

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में हारने पर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना उचित नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान शाह ने विपक्ष के चुनावी आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगले 30 साल तक उनका नंबर नहीं आने वाला है। उनके इस बयान से राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के सकेत हैं। यमुना पुनरुद्धार की 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाएं दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की यमुना नदी के पुनरुद्धार से संबंधित 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार काम समय में निर्धारित लक्ष्य की दिशा में 40 प्रतिशत से अधिक प्रगति कर चुकी है। शाह ने यमुना की सफाई को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठाए और दावा किया कि नदी को स्वच्छ बनाने के लिए पहले पर्याप्त काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के नेतृत्व में यमुना को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। चुनावी नतीजों को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने का मुद्दा अनुसार, चुनावी परिणामों के आधार पर निर्वाचन आयोग की विषयसनीयता पर अलग-अलग मानदंड अपनाया उचित नहीं है। उन्होंने अदालतों के फैसलों का उदाहरण

शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के जनादेश को राजनीतिक हथकंडों के जरिए झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश में मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके वहां होने के कारणों की जानकारी उन्हें नहीं है और यह उनका निजी विषय है। इसके बाद शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का अगले 30 साल तक नंबर नहीं आने वाला है। यह टिप्पणी राजनीतिक संदर्भ में की गई थी और इसे भविष्य के चुनावी परिणामों का प्रमाणित आकलन नहीं माना जा सकता। धरना-प्रदर्शन नहीं, जनता के बीच काम करने पर जोर अमित शाह ने कहा कि भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक पार्टी के लोग जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि यदि उसे चुनाव में सफलता हासिल करनी है, तो जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझना और उनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। शाह ने कहा कि केवल धरना-प्रदर्शन करने से चुनावी सफलता नहीं मिलती। उन्होंने विपक्षी दलों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परीक्षण आवश्यक है। राहुल गांधी पर तोखा राजनीतिक हमला अपने संबंधों में

किया। उनके मुताबिक, जनता के दुख-दर्द को समझना और उसके लिए ठोस काम करना राजनीतिक सफलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। यमुना की सफाई और चुनावी राजनीति आमने-सामने यमुना नदी का पुनरुद्धार दिल्ली के पर्यावरण, जल गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस दिशा में घोषित परियोजनाओं की सफलता का आकलन उनके वास्तविक क्रियान्वयन, प्रदूषण में कमी, सीवेज प्रबंधन और नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के आधार पर किया जाएगा। दूसरी ओर, वोट चोरी के आरोप और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जारी बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को सामने लाती है। कुल मिलाकर, अमित शाह के बयान ने चुनावी राजनीति में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। जहां भाजपा विपक्ष से जनसेवा और विकास के आधार पर राजनीति करने की अपील कर रही है, वहीं चुनावी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी आरोप का समाधान राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों, पारदर्शी जांच और संवैधानिक संस्थाओं की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सखरू और एजेंसियों को राजधानी में कूड़े के ढेर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केवल बैठकें करने और रिपोर्ट तैयार करने से हालात नहीं सुधरेगे। व्यवस्था में वास्तविक बदलाव के लिए अधिकारियों को स्वयं मैदान में उतरकर काम की निगरानी करनी होगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दिए गए निर्देशों का प्रभाव जमीन पर दिखाई दे। कूड़ा उठाने



हटाने, नियमित सफाई सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली सचिवालय में सफाई व्यवस्था की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में

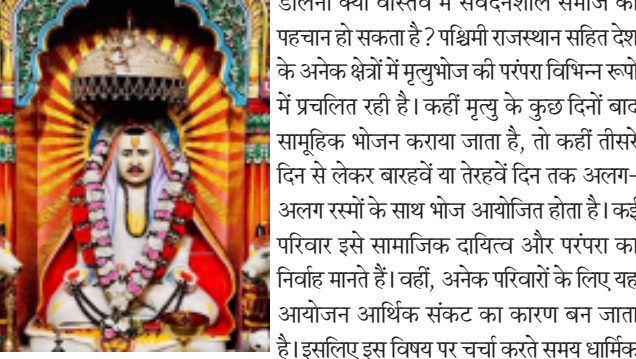
हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों को गंभीरता से लेने और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सफाई व्यवस्था में सुधार केवल कामजोरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम लोगों को नए आसपास स्वच्छता के रूप में इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। सफाई के साथ समय पर कूड़ा उठाना भी जरूरी रेखा गुप्ता ने कहा कि केवल सफाई कर देना पर्याप्त नहीं है। सफाई के बाद कूड़े का समय पर उठाया जाना भी जरूरी है। यदि इसमें देरी होती है, तो उसी स्थान पर दोबारा कूड़े के ढेर जमा हो जाते हैं। इसलिए सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सड़कों, चौराहों, प्लाईओवरों, बाजारों, रिहायशी इलाकों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा, निर्माण मलबा और गंदगी तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करने और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। त्योहारी सीजन में राजधानी की स्वच्छता बनाए रखना नगर निकायों और संबंधित एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में सफाई के लिए प्रयास किए जाने के बावजूद उनके अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ जेन में कूड़ा उठाने के काम में लापरवाही की शिकायतें भी मिली

सम्पादकीय

मृत्युभोज की कुरीति पर विराम जरूरी, आस्था के साथ सामाजिक सुधार भी समय की मांग

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों और परंपराओं का विशेष महत्व रहा है। ये परंपराएं परिवार, समाज और समुदाय को आपस में जोड़ने के साथ जीवन को सांस्कृतिक आधार भी प्रदान करती हैं। लेकिन समय के साथ जब किसी परंपरा का स्वरूप बदलकर सामाजिक दबाव, आर्थिक बोझ और प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा में तब्दील हो जाता है, तब उस परंपरा की प्रसंगिकता पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। मृत्युभोज भी ऐसी ही एक सामाजिक प्रथा है, जिस पर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टि से गंभीर विमर्श की जरूरत है। किसी प्रियजन के निधन पर शोककुल परिवार को सांत्वना देना मानवीय कर्तव्य है, लेकिन उस परिवार पर बड़े भोज के आयोजन का दबाव



डालना क्या वास्तव में संवेदनशील समाज की पहचान हो सकता है? पश्चिमी राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में मृत्युभोज की परंपरा विभिन्न रूपों में प्रचलित रही है। कहीं मृत्यु के कुछ दिनों बाद सामूहिक भोजन कराया जाता है, तो कहीं तीसरे दिन से लेकर बारहवें या तेरहवें दिन तक अलग-अलग रसमों के साथ भोज आयोजित होता है। कई परिवार इसे सामाजिक दायित्व और परंपरा का निर्वह मानते हैं। वहीं, अनेक परिवारों के लिए यह आयोजन आर्थिक संकट का कारण बन जाता है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करते समय धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए सामाजिक विवेक, मानवीय संवेदना और आर्थिक वास्तविकताओं को भी समान महत्व देना होगा। शोक की घड़ी में आर्थिक बोझ कैसा सामाजिक दायित्व? मृत्यु किसी भी परिवार के लिए भावनात्मक आघात का समय होती है। ऐसे समय में परिवार को मानसिक संबल, सहयोग और आत्मीयता की आवश्यकता होती है। ऐस स्थिति का अगर बच्चों की शिक्षा, परिवार की दैनिक जरूरतों और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों के लिए ऐसा खर्च लंबे समय तक पेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर परिवार मृत्युभोज के लिए कर्ज लेता है या हर आयोजन अनावश्यक खर्च से भरा होता है, ऐसा सामानीकरण उचित नहीं होगा। वास्तविक चिंता उस स्थिति से है, जिसमें स्वेच्छ के स्थान पर सामाजिक दबाव और लोकलाज किसी परिवार के निर्णय को प्रभावित करने लगते हैं। परंपरा और धर्म के नाम पर विवेकपूर्ण विचार जरूरी मृत्युभोज को लेकर धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय व्याख्याओं पर अलग-अलग मत मिलते हैं। कई समाज सुधारकों और धार्मिक उपदेशकों ने इसे आर्थिक शोषण तथा सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाली प्रथा मानते हुए इसके विरोध में आवाज उठाई है। पावन तीर्थ धाम शिकारपुरा से जुड़े गुरु राजेश्वर भगवान की परंपरा और गुरु महाराज जी महाराज की गुरुवाणी के प्रचारक किसान राम पटेल भी मृत्युभोज को सामाजिक कुरीति मानते हुए इसके उन्मूलन के लिए जनजागरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनका संदेश है कि मृत्यु के बाद परिवार पर भोज का अनावश्यक बोझ डालने के बजाय उसे सहयोग और संवेदना प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान गादीपति महंत श्री दयाराम जी के सानिध्य में गुरुवाणी के संदेश को घर-घर और गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वाण भी इसी सामाजिक सुधार की भावना को आगे बढ़ाता है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करते समय प्रमाणिकता और संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक है। गरुड़ पुराण सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु, शोक, अंशेष्ट और उत्तरक्रिया से संबंधित अनेक विधान मिलते हैं। किसी विशेष प्रथा को शास्त्रसम्मत या शास्त्रविरुद्ध घोषित करने से पहले संबंधित मूल पाठ और उसकी प्रमाणिक व्याख्या की जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान श्रीराम या किसी अन्य धार्मिक महापुरुष के नाम से किसी विचार को जोड़ते समय उसके प्रामाणिक स्रोत की पुष्टि करना जरूरी है। धर्म का मूल उद्देश्य यदि करुणा, संयम, सेवा और मानवीय कल्याण है, तो शोकग्रस्त परिवार को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाना भी इसी मूल्यों के अनुरूप सामाजिक पहल हो सकती है। धार्मिक आस्था और सामाजिक सुधार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। कानून का पालन और उसके सही संदर्भ की जरूरत मृत्युभोज के विरुद्ध राजस्थान में कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 इस विषय से संबंधित प्रमुख कानूनी संदर्भ है। इस कानून का उद्देश्य मृत्युभोज की प्रथा को रोकना है। हालांकि, अधिनियम की वर्तमान स्थिति, संशोधनों, लागू प्रावधानों और दंडात्मक व्यवस्थाओं का उल्लेख करते समय आधिकारिक कानूनी दस्तावेजों से पुष्टि करना आवश्यक है। जुलाई 2020 में संशोधन से संबंधित किसी दावे को भी प्रमाणित सरकारी अधिसूचना के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विवाह से पहले समझौता: सुरक्षा की पहल या रिश्तों में अविश्वास की आशंका?



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com विवाह भारतीय समाज में केवल दो व्यक्तियों का वैवाहिक बंधन नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, भावनात्मक प्रतिबद्धता, पारिवारिक जिम्मेदारी और साझा भविष्य की परिकल्पना भी है। बदलते सामाजिक परिवेश, आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने विवाह की पारंपरिक अवधारणाओं को नए विमर्श से जोड़ा है। इसी संदर्भ में विवाह से पहले किए जाने वाले प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट यानी विवाह-पूर्व समझौते पर चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है। सवाल यह है कि क्या ऐसा समझौता भावी पति-पत्नी के आर्थिक हितों की सुरक्षा का व्यावहारिक माध्यम है या यह रिश्ते की शुरूआत में ही संभावित अलगाव की आशंका को प्रमुखता देता है? मोदीवैभन मास्टर्स-चैतन्य चेतना जागृति मंच से जुड़े नौरज सिंघवी ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए विवाह में विश्वास, सम्पर्ण, संवाद और पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने समाज और अभिभावकों से इस विषय पर चिंतन-मनन करने की अपील की है। उनका दृष्टिकोण विवाह के भावनात्मक पक्ष को सामने लाता है,

भारत-पोलैंड साझेदारी: व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग से नए अवसरों की उम्मीद

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com वैश्विक राजनीति में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच भारत और पोलैंड के संबंधों को नई दिशा देने की संभावनाएं सामने आई हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई वार्ता ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरती तकनीकों में साझेदारी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अवसर केवल कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का नहीं, बल्कि उन्हें ठोस आर्थिक और तकनीकी परिणामों में बदलने का भी है। भारत और पोलैंड ने अगस्त 2024 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सहयोग को व्यापक बनाने के लिए 2024-2028 की संयुक्त कार्ययोजना भी तैयार की गई। डोनाल्ड टस्क की वर्तमान यात्रा इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण

आवश्यकता इस बात की है कि इसके संभावित लाभ, सीमाएं और सामाजिक प्रभाव समझे जाएं। विश्वास महत्वपूर्ण, लेकिन आर्थिक स्पष्टता भी जरूरी नीरज सिंघवी की प्रमुख चिंता यह है कि यदि विवाह की शुरूआत ही भविष्य में अलगाव की आशंका और संपत्ति के बंटवारे की शतों से हो, तो रिश्ते में भावनात्मक असुरक्षा पैदा हो सकती है। यह एक विचारणीय पक्ष है। विवाह में विश्वास का स्थान कोई कानूनी दस्तावेज नहीं ले सकता। आपसी सम्मान, संवाद, जिम्मेदारी और कठिन परिस्थितियों में साथ निभाने की भावना ही संबंधों को मजबूती देती है। लेकिन दूसरी ओर, आर्थिक मामलों पर स्पष्ट बातचीत को अपने आप में अविश्वास का प्रमाण मानना भी उचित नहीं है। संपत्ति, कर्ज, पारिवारिक व्यवसाय, पहले से मौजूद आर्थिक दायित्व और बच्चों के भविष्य जैसे विषय वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हैं। इन पर विवाह से पहले पारदर्शिता रखने से भविष्य में गलतफहमियां कम करने में सहायता मिल सकती है। समस्या आर्थिक चर्चा में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और तरीके में हो सकती है। यदि बातचीत सजग हैं। ऐसे परिवेश में विवाह-पूर्व समझौते की अवधारणा सामने आती है। सामान्यतः ऐसे समझौतों का उद्देश्य विवाह से पहले संपत्ति, आर्थिक दायित्वों और कुछ वित्तीय अपेक्षाओं को स्पष्ट करना हो सकता है। कई देशों में इनका नीरज सिंघवी ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए विवाह में विश्वास, सम्पर्ण, संवाद और पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने समाज और अभिभावकों से इस विषय पर चिंतन-मनन करने की अपील की है। उनका दृष्टिकोण विवाह के भावनात्मक पक्ष को सामने लाता है।

है। दोनों देशों के सामने अब चुनौती यह है कि उच्चस्तरीय बैठकों और साझा घोषणाओं को व्यावहारिक परियोजनाओं, निवेश और रोजगार के अवसरों में किस प्रकार बदला जाए। व्यापार और निवेश: संभावनाओं को परिणाम में बदलने की चुनौती भारत और पोलैंड के आर्थिक संबंधों में विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। पोलैंड मध्य यूरोप की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय संघ का सदस्य होने के कारण भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंच बनाने में उपयोगी साझेदार



जानकारी उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। इसी प्रकार, पोलिश कंपनियों के भारत में डिजिटल सेवाओं में अनुभव और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती क्षमता पोलिश कंपनियों के लिए संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, निवेश आकर्षित करने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। पारदर्शी नियम, नीतिगत स्थिरता, बुनियादी सुविधाएं और निवेशकों के लिए सरल प्रक्रियाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं। रक्षा सहयोग में आत्मनिर्भरता का संतुलन रक्षा क्षेत्र भारत-

लोगों के लिए पहले से मौजूद संपत्ति, व्यावसायिक दायित्वों और बच्चों के हितों को लेकर स्पष्टता विशेष महत्व रख सकती है। वहीं, सामान्य आय वाले परिवारों में भी आर्थिक पारदर्शिता की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। विवाह के बाद घर चलाने, बचत करने, कर्ज चुकाने, माता-पिता की देखभाल और बच्चों की शिक्षा जैसे प्रश्न दोनों पक्षों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि ऐसे समझौते हर परिवार के लिए आवश्यक हैं या हर परिस्थिति में हानिकारक हैं। किसी भी निर्णय का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके की वास्तविक जरूरतों, दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति और संभावित परिणामों के आधार पर होना चाहिए। बेटियों की आत्मनिर्भरता सामाजिक सुरक्षा का आधार नीरज सिंघवी ने अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। यह सुझाव व्यापक सामाजिक महत्व रखता है। शिक्षा और रोजगार महिलाओं को आर्थिक क्षमता के साथ-साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। हालांकि, आत्मनिर्भरता का महत्व केवल बेटियों तक सीमित नहीं है। लड़कों को भी आर्थिक अनुशासन, भावनात्मक परिपक्वता, घरेलू जिम्मेदारियों में समान भागीदारी और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सम्मान की शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वस्थ विवाह तभी संभव है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे के समान गरिमा और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें। अभिभावकों की भूमिका भी केवल विवाह तय करने या सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें युवाओं को अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट करने, जीवनसाथी को

समझने और बिना दबाव के निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। विवाह से पहले पर्याप्त संवाद और परस्पर समझ भविष्य के अनेक विवादों को रोकने में सहायक हो सकते हैं। कानूनी अधिकारों और भावनात्मक संबंधों में संतुलन विवाह-पूर्व समझौते के प्रश्न पर भावनात्मक विचारों के साथ कानूनी स्थिति की जानकारी भी आवश्यक है। भारत में ऐसे समझौतों को हर परिस्थिति में स्वतः वैध और प्रवर्तनीय मानना सही नहीं होगा। इनका प्रभाव लागू कानूनों और विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है। इसलिए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले स्वतंत्र कानूनी सलाह लेना उचित है। किसी पक्ष पर दबाव डालकर सहमति प्राप्त करना भी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इसी प्रकार, विवाह में विश्वास और सम्पर्ण की वकालत करते समय किसी व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत गरिमा और कानूनी अधिकारों को गौण नहीं किया जा सकता। परिवार की एकता महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी संबंध को बनाए रखने के नाम पर अन्याय, हिंसा या शोषण सहने की अपेक्षा भी उचित नहीं है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तभी सार्थक है, जब सभी पक्ष सुरक्षित हों और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। समाज की चर्चा का उद्देश्य किसी एक विचार को अंतिम सत्य घोषित करना नहीं होना चाहिए। सामाजिक संगठनों, अभिभावकों और युवाओं को इस विषय पर खुले मन से संवाद करना चाहिए। विवाह-पूर्व समझौते और पारिवारिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक बैठकों में विवाह से जुड़ी अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और वित्तीय मामलों पर चर्चा

हो सकती है। युवाओं को यह समझाना भी आवश्यक है कि विवाह केवल रसमों और सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि दीर्घकालीन साझेदारी है। इस साझेदारी में प्रेम के साथ व्यावहारिक समझ, भावनात्मक निकटता के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ समान अधिकार भी जरूरी हैं। निष्कर्ष; रिश्तों की नींव विश्वास, व्यवहार और पारदर्शिता नीरज सिंघवी का यह विचार कि विवाह व संभावित अलगाव की आशंकाओं तब सीमित नहीं किया जाना चाहिए, सामाजिक विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्वास और आर्थिक स्पष्टता को परस्पर विरोधी मानना भी उचित नहीं होगा। किसी दस्तावेज की मौजूदगी अपने आप में रिश्ते की कमजोरी का प्रमाण नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे केवल दस्तावेज न होना आपसी विश्वास का गारंटी नहीं देता। विवाह की मजबूती इस बात से स्पष्ट होती है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति कितने ईमानदार, संवेदनशील और जिम्मेदार हैं। आर्थिक विषयों पर खुली बातचीत, अधिकारों की जानकारी, स्वतंत्र सहमति और कठिन परिस्थितियों में परस्पर सम्मान संबंधों को अधिक स्थिर बना सकते हैं। समाज को इस बहस में भय या पूर्वाग्रह के बजाय विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विवाह में विश्वास हो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं; आर्थिक स्पष्टता हो, लेकिन न्याय और संदेह के आधार पर नहीं। अंततः सफल वैवाहिक जीवन का आधार किसी एक समझौते की मौजूदगी या अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विश्वास, समानता, संवाद, सम्मान और जिम्मेदारी के बीच संतुलन है। यही संतुलन परिवारों को मजबूत करेगा और बदलते समाज में विवाह की संस्था को अधिक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाएगा।

जहरीली हवा में त्योहारों की रैनक: स्वच्छ सांस नागरिकों का अधिकार, सरकारों की जवाबदेही

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com दिल्ली-NCR में प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक बार फिर इस सवाल को सामने ला रहा है कि विकास, उत्सव और नागरिकों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। त्योहार जीवन में उमंग, मेल-मिलाप और खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन यदि इन दिनों हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगे और सांस लेना कठिन हो जाए, तो उत्सव की चमक के पीछे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती भी दिखाई देने लगी है। स्वच्छ हवा केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, बेहतर शहरी नियोजन और प्रभावी प्रशासन की बुनियादी कसौटी है। 22 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह सात बजे 226 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले 21 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 तक पहुंच गया था। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-उत्कमें ग्रेडेड रिसॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू करने का निर्णय लिया। दिल्ली के यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन को और प्रोत्साहित करने के लिए सप्ताह के कार्यदिवसों में 20 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं

शुरू करने की घोषणा भी की। ये कदम आवश्यक हैं, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या प्रदूषण नियंत्रण को केवल मौसम बिगड़ने के बाद सक्रिय होने वाली व्यवस्था तक सीमित रखा जा सकता है?

मौसमी उपाय नहीं, स्थायी समाधान जरूरी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं। सड़क की धूल, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां और खुले में कचरा या जैविक अवशेष जलाना हवा

की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौसम की स्थिति, हवा की गति और वातावरण में प्रदूषकों के फैलाव बिगड़ने के बाद सक्रिय होने वाली व्यवस्था तक सीमित रखा जा सकता है?



कारण या किसी एक वर्ग को पूरी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराना वास्तविकता को सरल बनाकर पेश करना होगा। वायु प्रदूषण की चुनौती इसलिए भी जटिल है क्योंकि दिल्ली की हवा केवल प्रशासनिक सीमाओं से बंधी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों के बीच लोगों, वाहनों,

उद्योगों और निर्माण गतिविधियों का निरंतर आवागमन होता है। प्रदूषण के स्रोत भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित क्षेत्रों के बीच समन्वय के बिना

निर्माण-धूल और कचरा पबंधन पर जवाबदेही निर्माण और सड़क मरम्मत से जुड़ी गतिविधियों में धूल नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, सलबे का सुरक्षित परिवहन, सड़कों की नियमित यांत्रिक सफाई और धूल दबाने के उपयुक्त उपाय केवल औपचारिकताएं नहीं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक हिस्से हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों के पालन और संबंधित एजेंसियों की व्यापक सुधार की उम्मीद करना कठिन होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए घोषित योजनाओं का महत्व तभी है, जब उन्का क्रियान्वयन नियमित और मापने योग्य हो। केवल आदेश जारी करना, बैठकों करना या निरीक्षण की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यह देखना आवश्यक है कि सड़क की

धूल कितनी कम हुई, निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर कितनी प्रभावी रोक लगी और सार्वजनिक परिवहन वास्तव में कितना सुलभ हुआ।

निर्माण-धूल और कचरा पबंधन पर जवाबदेही निर्माण और सड़क मरम्मत से जुड़ी गतिविधियों में धूल नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, सलबे का सुरक्षित परिवहन, सड़कों की नियमित यांत्रिक सफाई और धूल दबाने के उपयुक्त उपाय केवल औपचारिकताएं नहीं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक हिस्से हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों के पालन और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही पर जोर दिया है। इसी प्रकार, खुले में कचरा जलाने पर रोक तभी प्रभावी होगी, जब नगर निकाय नियमित कचरा संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था मजबूत करें। नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा उचित है, लेकिन प्रशासन को भी

यह सुनिश्चित करना होगा कि कचरा उठाने की सेवाएं समय पर उपलब्ध हों और शिकायतों पर कार्रवाई हो। जहां व्यवस्था में कमियां हैं, वहां सुधार के बिना केवल जुर्मानों के सहारे स्थायी समाधान संभव नहीं हैं। सार्वजनिक परिवहन और नागरिक भागीदारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक, भरोसेमंद और सुलभ बनाना जरूरी है। दिल्ली में टो की अतिरिक्त यात्राएं सकारात्मक कदम हैं, लेकिन व्यापक बदलाव के लिए बस सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, अंतिम पड़ाव तक आसान पहुंच, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते और साइकिल के अनुकूल बुनियादी ढांचा भी विकसित करना होगा। जब निजी वाहन की तुलना में सार्वजनिक परिवहन अधिक सुविधाजनक विकल्प बनेगा, तभी लोग स्वेच्छ से अपनी यात्रा संबंधी आदतों में बदलाव करेंगे। नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वाहनों का नियमित रखरखाव, अनावश्यक इंजन चालू रखने से बचना, कचरा नहीं जलाना और प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करना सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। हालांकि नागरिक जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि प्रशासन अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाए। सरकार को सही जानकारी, शिकायत

दर्ज करने की सरल व्यवस्था और उल्लंघन के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। संपादकीय दृष्टि: प्रदूषण नियंत्रण की सफलता का आकलन केवल किसी एक दिन के अदकसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए दीर्घकालिक आंकड़ों, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों, स्थानीय स्तर पर किए गए उपायों और उनके वास्तविक परिणामों की निर्यामित समीक्षा जरूरी है। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां निवासियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री टस्क की यात्रा से जुड़े कारोबारों काकर्मों में नई दिल्ली के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुभव इस सहयोग को

आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर। सरकारों को अपने फैसलों के परिणाम सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि नागरिक जान सकें कि घोषित योजनाओं से वास्तव में कितना सुधार हुआ है। निष्कर्ष; विकास वही, जो जीवन को बेहतर बनाए। दिल्ली-NCR का प्रदूषण हमें याद दिलाता है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमकते बाजार नहीं हैं। विकास का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि नागरिकों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित वातावरण और स्वस्थ जीवन कितना उपलब्ध है। त्योहारों की रैनक तभी पूरी होगी, जब खुशियों के साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। सरकारों को मौसमी कार्रवाई से आगे बढ़ कर दीर्घकालिक नीति, सख्त क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय पर ध्यान देना होगा। स्थानीय निकायों को सफाई और कचरा प्रबंधन सुधारना होगा, उद्योगों को पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा और नागरिकों को जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा। स्वच्छ हवा कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि जनसंस्थ की अनिवार्य आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित करना किसी एक विभाग या मौसम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शासन, समाज और प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है।

या किसी क्षेत्र से आए सभी लोगों के प्रति संदेह का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता, प्रमाण-आधारित जाँच तथा नागरिक अधिकारों का सम्मान बनाए रखना भी आवश्यक है।

